A— 1991
17

क्रम-संख्या—573

रजि0 नं0 एल0 डब्लू0/एन0 पी0 581

लाइसेन्स नं0 डब्लू0 पी0—41

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1 खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 22 अगस्त, 1991

श्रावण 31, 1913 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 1534 / सत्रह-वि-1-1(क)-18-1991

लखनऊ, 22 अगस्त, 1991

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1991 पर दिनांक 22 अगस्त, 1991 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1991 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1991

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1991]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 और उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बयालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय—एक

प्रारम्भिक

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1991 कहा जायेगा। — संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) धारायें 2 से 14 दिनांक 19 फरवरी, 1991 को प्रवृत्त हुई समझी जायेंगी और शेष धारायें तुरन्त प्रवृत्त होंगी।

अध्याय—दो

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1951 की धारा 3 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 3 में, खण्ड (6-क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

"(6-क) 'संहत क्षेत्र' का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जिसके सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा 24 के अधीन अन्तिम चकबन्दी योजना प्रचलित हो गई हो और उस क्षेत्र के सम्बन्ध में उस अधिनियम की धारा 6 के अधीन उस अधिनियम की धारा 4 में प्रचारित विज्ञप्ति रद्द न की गई हो;"

अध्याय—तीन

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1954 की धारा 3 का संशोधन

3—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में,—

(क) खण्ड (2-क) में, शब्द "जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम" के पश्चात् शब्द "या किसी अन्य विधि जिसके द्वारा जमींदारी प्रणाली समाप्त कर दी गई हो," बढ़ा दिए जायेंगे;

(ख) खण्ड (11) में, शब्द "भूमिधर अथवा सीरदार" के स्थान पर शब्द "अन्तरणीय अधिकार वाले भूमिधर या अनन्तरणीय अधिकार वाले भूमिधर" रख दिये जायेंगे।

धारा 4 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (2) में, खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्—

"(ख) प्रत्येक ऐसी विज्ञप्ति गजट में और ऐसे किसी दैनिक समाचार पत्र में जिसका उक्त क्षेत्र में परिचलन हो, प्रकाशित की जाएगी और उक्त क्षेत्र में प्रत्येक कटक में ऐसी रीति से भी प्रकाशित की जायेगी जैसी समुचित समझी जाय।"

धारा 5 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 5 में, उपधारा (i) में, खण्ड (ग) में, उपखण्ड (ii) निकाल दिया जायेगा।

धारा 8 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 8 में, उपधारा (2) में, शब्द "अशुद्धियां" के पश्चात् शब्द, "उत्तराधिकार के निर्विवाद मामले" बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 9 का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 9 में, उपधारा (1) में, खण्ड (क) में, उपखण्ड (2) में, शब्द "अशुद्धियां" के पश्चात् शब्द, ",उत्तराधिकार के निर्विवाद मामले" बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 9-क का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 9-क में, उपधारा (1) में, अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जहां सहायक चकबन्दी अधिकारी का, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह आवश्यक समझे, यह समाधान हो जाय कि उत्तराधिकार का मामला निर्विवाद है, वहां वह मामले का निस्तारण ऐसी जांच के आधार पर करेगा।"

धारा 19-क का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 19-क में, उपधारा (2) में, शब्द "मूल्यांकन करने के पश्चात् कोई भी भूमि, जो" के पश्चात् शब्द "राज्य सरकार की हो या कोई भूमि जो" बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 28 का संशोधन

10—मूल अधिनियम की धारा 28 में;—

(क) उपधारा (1) में, शब्द "उस दिनांक के जब उक्त योजना प्रचलित हुई हो, छः मास के भीतर प्रार्थी को प्रविष्ट चक या भूमि का वास्तविक कब्जा उसे दिलाएगा" के स्थान पर शब्द "और जहां कोई भूमि राज्य सरकार को प्रदिष्ट की गई हो, वहां राज्य सरकार के किसी प्रार्थना-पत्र के बिना, उस दिनांक के, जब उक्त

योजना प्रचलित हुई हो, छः मास के भीतर, यथास्थिति, खातेदार या भूमि प्रबन्धक समिति या राज्य सरकार को प्रविष्ट चक या भूमि का वास्तविक कब्जा दिलाएगा" रख दिये जायेंगे ।

(ख) उपधारा (2) में, शब्द "भूमि प्रबन्धक समिति", जहां कहीं भी आए हों, के पश्चात् शब्द "या राज्य सरकार" बढ़ा दिए जायेंगे ।

धारा 29-ख का संशोधन

11--मूल अधिनियम की धारा 29-ख में,--

(क) उपधारा (1) में, खण्ड (क) में,--

(एक) उपखण्ड (1) में, शब्द "भूमिधर" के स्थान पर शब्द "अन्तरणीय अधिकार वाले भूमिधर" रख दिए जायेंगे;

(दो) उपखण्ड (2) में, शब्द "सीरदार" के स्थान पर शब्द "अनन्तरणीय अधिकार वाले भूमिधर" रख दिए जायेंगे ;

(ख) उपधारा (3) में, शब्द "भूमिधर अथवा सीरदार" के स्थान पर शब्द "अन्तरणीय अधिकार वाले भूमिधर या अनन्तरणीय अधिकार वाले भूमिधर" रख दिये जायेंगे ।

धारा 29-ग का संशोधन

12--मूल अधिनियम की धारा 29-ग में,--

(क) उपधारा (1) में, शब्द "गांव सभा में" के स्थान पर शब्द "किसी ऐसे क्षेत्र में जिसमें उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 117 लागू होती हो गांव सभा में, और किसी अन्य क्षेत्र में राज्य सरकार में" रख दिए जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) में, शब्द "आवश्यक परिवर्तनों के साथ" के पश्चात् शब्द "गांव सभा में निहित" बढ़ा दिये जायेंगे ।

धारा 46 का संशोधन

13--मूल अधिनियम की धारा 46 में,--

(क) पार्श्वशीर्षक में शब्द "मापन" के पश्चात् शब्द "या सीमा" बढ़ा दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (1) में शब्द "मापन" के पश्चात् शब्द "या सीमा" बढ़ा दिये जायेंगे और शब्द "पचास रुपये" के स्थान पर शब्द "एक हजार रुपये" रख दिए जायेंगे ।

धारा 52 का संशोधन

14--मूल अधिनियम की उपधारा 52 में, उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :--

"(1-क) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति किसी ऐसे दैनिक समाचार-पत्र में भी जिसका क्षेत्र में परिचलन हो और ऐसी अन्य रीति से जैसी उचित समझी जाय, प्रकाशित की जायगी ।"

अध्याय-चार
प्रकीर्ण

निरसन और व्यावृत्ति

15--(1) उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1991 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश और उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1991 द्वारा यथा संशोधित अध्याय दो और तीन में निर्दिष्ट अधिनियमों के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इन अध्यादेशों द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियमों के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

आज्ञा से,

नारायण दास,

सचिव ।

No. 1534 (2)/XVII-V-1—1 (KA)-18-1991

Dated Lucknow, August 22, 1991

In pursuance of the provisions of clause (3)of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Bhumi Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 1991 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 30 of 1991) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 23, 1991.

THE UTTAR PRADESH LAND LAWS (AMENDMENT) ACT, 1991

(U. P. Act No. 30 of 1991)

(*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 and the Uttar Pradesh Consolidation of Holdings Act, 1953

It is hereby enacted in the Forty-second Year of the Republic of India as follows :—

Chapter—I

Preliminary

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Land Laws (Amendment) Act, 1991.

(2) Sections 2 to 14 shall be deemed to have come into force on February 19, 1991. and the remaining provisions shall come into force at once.

Chapter—II

Amendment of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950

Amendment of section 3 of U. P. Act no. 1 of 1951

2. In section 3 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, *for* clause (6-*a*), the following clause shall be *substituted*, namely :—

"(6-*a*) 'Consolidated area' means the area in respect of which the final consolidation scheme has been enforced under section 24 of the Uttar Pradesh Consolidation of Holdings Act, 1953, and the notification under section 4 of that Act has not been cancelled under section 6 of that Act in respect of such area;".

Chapter—III

Amendment of the Uttar Pradesh Consolidation of Holdings Act, 1953

Amendment of section 3 of U. P. Act no. 5 of 1954

3. In section 3 of the Uttar Pradesh Consolidation of Holdings Act, 1953, hereinafter in this chapter referred to as the principal Act—

(*a*) in clause (2-A), *after* the words and figures "the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950" the words "or any other Law by which Zamindari System has been abolished" shall be *inserted* ;

(*b*) in clause (11), *for* the words "*bhumidhar* or *sirdar*" the words "*bhumidhar* with transferable rights or *bhumidhar* with non-transferable rights" shall be *substituted*.

Amendment of section 4

4. In section 4 of the principal Act, in sub-section (2), *for* clause (*b*), the following clause shall be *substituted*, namely :—

"(*b*) Every such notification shall be published in the *Gazette* and in a daily newspaper having circulation in the said area and shall also be published in each unit in the said area in such manner as may be considered appropriate".

Amendment of section 5

5. In section 5 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (*c*) sub-clause (ii) shall be *omitted*.

Amendment of section 8

6. In section 8 of the principal Act, in sub-section (2) *after* the words "showing the mistakes" the words, "undisputed cases of succession" shall be *inserted*.

Amendment of section 9

7. In section 9 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (*a*), in sub-clause (ii), *after* the word "mistakes" the words ",undisputed cases of succession" shall be *inserted*.

Amendment of section 9-A

8. In section 9-A of the principal Act, in sub-section (1), the following proviso shall be *inserted* at the end, namely :

"Provided that where the Assistant Consolidation Officer, after making such enquiry as he may deem necessary, is satisfied that a case of succession is undisputed, he shall dispose of the case on the basis of such enquiry."

Amendment of section 19-A

9. In section 19-A of the principal Act, in sub-section (2) , *after* the words "determining its valuation",the word "any land belonging to the State Government, or" shall be *inserted*.

Amendment of section 28

10. In section 28 of the principal Act,—

(*a*) in sub-section (1), *for* the words "may, within six months of the date on which the said Scheme has come into force, put the tenure-holder or the Land Management Committee, as the case may be, in actual physical possession of the chak or lands allotted to the applicant," the following words shall be *substituted*, namely :—

"may, and where any land has been allotted to the State Government shall, without any application of the State Government, within six months of the date on which the said Scheme has come into force, put the tenure-holder or the Land Management Committee or the State Government, as the case may be, in actual physical possession of the allotted chak or lands,";

(*b*) in sub-section (2), *after* the words "Land Management Committee" wherever they occur the words "or the State Government" shall be *inserted*.

Amendment of section 29-B

11. In section 29-B of the principal Act,—

(*a*) in sub-section (1), in clause (*a*), —

(i) in sub-clause (i), *for* the word "*bhumidhar*" the words "*bhumidhar* with transferable rights" shall be *substituted*;

(ii) in sub-clause (ii), *for* the word "*sirdar*" the words "*bhumidhar* with non-transferable rights" shall be *substituted*;

(*b*) in sub-section (3), *for* the words "*bhumidhar* or *sirdar*", the words "*bhumidhar* with transferable rights or *bhumidhar* with non-transferable rights" shall be *substituted*.

Amendment of section 29-C

12. In section 29-C of the principal Act,—

(*a*) in sub-section (1), *after* the words "vested in the Gaon Sabha" the following words shall be *inserted*, namely :—

"in an area in which section 117 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 applies and in the State Government in any other area,";

(*b*) in sub-section (2), *after* the words "apply to such land" the words "vested in the Gaon Sabha" shall be *inserted*.

Amendment of section 46

13. In section 46 of the principal Act,—

(*a*) in the marginal heading, *afetr* the word "survey" the words "or boundary" shall be *inserted* ;

(*b*) in sub-section (1), *after* the word "survey" the words "or boundary" shall be *inserted* and *for* the words "fifty rupees" the words "one thousand rupees" shall be *substituted*.

Amendment of section 52.

14. In section 52 of the principal Act, *after* sub-section (1), the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(1-A) The notification issued under sub-section (1) shall be published also in a daily newspaper having circulation in the area and in such other manner as may be considered proper."

CHAPTER IV

Miscellaneous

Repeal and saving.

15. (1) The Uttar Pradesh Land Laws (Amendment) (Second) Ordinance, 1991 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the Acts referred to in Chapters II and III as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) or by the Uttar Pradesh Land Laws (Amendment) Ordinance, 1991 shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Acts, as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
NARAYAN DAS,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 148 सा० (विधा०)—(1385)-1991-850 (मेक०)।